# अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्रः अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्र. No – 4929 दिनांक : – 6 DEC 2006

आदेश – 426

**विषय :– कृषि कनेक्शन को बढ़े हुए भार वृद्धि को माप कर नियमित करके बिंलिग करने बाबत्।**

समन्वय समिति की दिनांक 22/23.11.06 को आयोजित 98वीं बैठक में अजमेर डिस्कॉम द्वारा पारित आदेश संख्या 4335 दिनांक 13.11.06 पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् अनुमोदन करते हुए कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.09.04) के बिन्दु संख्या–23 (स्वीकृत भार बढ़ाना) के भाग (I) एवं (III) में आंशिक संशोधन कर निम्न निर्णय लिया गया है कि :–

निगम के पवस (O&M) एवं सतर्कता शाखा के सहायक एंव कनिष्ठ अभियन्ताओं को निर्देश दिये जाते है कि, वे अपने क्षेत्र के सभी कृषि उपभोक्ता का लोढ़. चेक करें एवं स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर :–

1. बिना वीसीआर (VCR) या चेकिंग रिपोर्ट भरे उपभोक्ता को अनाधिकृत भार की लिखित में सूचना दी जाए एवं बिना कोई पेनल्टी राशि लिए, उसे नियमित किया जावे तथा निगम नियमानुसार धरोहर राशि (Security) ली जावे एवं तद्‌नुसार बिलिंग शुरू की जाए।
2. जो उपभोक्ता एक कनेक्शन पर दो मोटरें एक ही खसरे में चलाते है वहां पर भी अनाधिकृत भार वृद्धि पाये जाने पर बिना कोई पेनल्टी राशि लिए कृषि नीति वर्ष 2004 (संशोधित–18.09.04) बिन्दु संख्या 23 (iii) के अनुसार राशि लेकर भार वृद्धि नियमन किया जावे एवं तद्‌नुसार बिलिंग शुरू कर दी जाए।
3. अगर उपभोक्ता स्वीकृत भार को समान रखते हुए दो भागों में विभाजित कर, उसी खसरे में दो कुएँ चलाते हुए पाया जाता है तो, उसे बिना कोई पेनल्टी राशि लिए उसे नियमित कर दिया जावें।
4. जहां उपभोक्ता अथवा गैरउपभोक्ता मौके पर चोरी करते हुए पकड़े जाए, उस पर निगम नियमानुसार कार्यवाही की जावे एवं पैरा 1, 2 एवं 3 की सुविधा नहीं दी जाए।

उक्त आदेश दिनांक 28.02.07 तक ही लागू रहेगा।

(एस.सी दत्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक जयपुर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
6. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावेधिक–सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सूचनार्थ।
17. निजी–सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)